सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 89 राँची, शुक्रवार

24 माघ, 1936 (श०)

13 फरवरी, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

10 फरवरी, 2015

संख्या-5/आरोप-1-402/2014 का॰-1098 **--** कृपया पढ़े:-

1. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का पत्रांक- 382/रा0, दिनांक 25 जनवरी, 2008

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक-1091, दिनांक-08 फरवरी, 2012

3. अपर समाहर्ता, राँची का पत्रांक-185/रा0गो0, दिनांक-23 नवम्बर, 1996

श्री महेन्द्र प्रसाद यादव, सेवानिवृत झा0प्र0से0, (कोटि क्रमांक 169/03, गृह जिला-बेगूसराय), अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक- 382/रा0, दिनांक 25 जनवरी, 2008 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप प्रतिवेदित है ।

प्रपत्र- 'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गये हैं:-

1. शहर अंचल, राँची, मौजा-अरगोड़ा के खाता संख्या-268, प्लाट सं0-2983, कुल रकबा 1.08 एकड़ गत रिविजनल सर्वे खतियान में गैर मजरूआ मालिक दर्ज है ।

2. उपर्युक्त भूमि में से मौजा अरगोड़ा के पंजी-II के पृष्ठ 282 पर सर्वप्रथम 0.49 एकड़ के लिए सामू साव वल्द जागो साव के नाम जमाबंदी चलाने का उल्लेख है। इस पृष्ठ पर सामू साव वल्द जागो साव के नाम को काटकर चन्दन साव पिता- सामू साव का नाम अंकित किया गया है तथा उसका आधार दाखिल-खारिज वाद संख्या-1744 आर-27/82-83 अंकित किया गया है। इसी प्रकार पंजी-II के पृष्ठ सं0-312 पर सर्वप्रथम 0.49 एकड़ के लिए सामू साव पिता- स्व0 जागो साव के नाम जमाबन्दी चलाने का उल्लेख है तथा बाद में सामू साव पिता- स्व0 जागो साव के नाम को काटकर चन्दन साव, पिता- सामू साव अंकित किया गया है, जिसका आधार वाद सं0-1721 आर-27/82-83 अंकित किया गया है। उपर्युक्त दोनों दाखिल-खारिज दिनांक-04 अप्रैल, 1983 को तत्कालीन अंचल अधिकारी श्री नारायण मूर्ति द्वारा स्वीकृत किए गए हैं ।

उक्त गलत रूप से किए गए नामांतरण का मामला प्रकाश में आने पर उक्त भूमि पर जय भवानी का-ओपरेटिव सोसाईटी के नाम से की जा रही अवैध निर्माण की जाँच करने हेतु एवं जमाबंदी रद्द करने तथा किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाने तथा उक्त भू-खण्ड की अवैध बिक्री को रोकने का निदेश दिया गया था ।

श्री यादव द्वारा माह जुलाई 1995 से नवम्बर 1996 तक जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई नहीं की गयी, जो कि आदेश की अवहेलना है ।

विभागीय पत्रांक-1091, दिनांक-08 फरवरी, 2012 द्वारा श्री यादव से उक्त आरोपों पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी ।

श्री यादव ने अपने पत्र, दिनांक-24 फरवरी, 2012 द्वारा उक्त आरोपों पर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें उल्लेख है कि इन्हें अनुमंडल पदाधिकारी में अवैध रूप से खोली गयी जमाबंदियों को रद्द करने की शक्ति निहित होने की जानकारी नहीं होने के कारण तत्काल जमाबंदी रद्द नहीं की गयी। अपर समाहर्ता, राँची के पत्रांक- 185/रा0गो0, दिनांक 23 नवम्बर, 1996 द्वारा इसकी जानकारी होने पर श्री यादव द्वारा शीघ्रता से अवैध रूप से खोली गयी उक्त जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की गयी।

श्री यादव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, श्री यादव को आरोप से मुक्त करते हुए इस मामले को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रमोद कुमार तिवारी,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 89—50 ।